

आदेश 20 के नियम 8 व 7 (काका जीवाजी)
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलारा मण्डावा जिला मुंबई (राज.)
 गिठारीन अधिकारी— मुनेश कुमारी
 (आर.ए.एस.)

दावा विभाजन वायत वंटवारा
 अन्तिम वाद डिकी

मुकदमा नम्बर :- 416/2024 उनवान जगपाल बनाम गिरधारीलाल वगै०

यह मुकदमा आज चारते इफिसला कतई रूबरू, मुनेश कुमारी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण भिनजानिव मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुद्दालय पेरा होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.06.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजरव ग्राम वाहिदपुरा के भूमि ख.न.959/78 रकबा 1.45 हैक्टर, व ग्राम श्योपुरा ख.न. 130 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.न. 161 रकबा 0.11 हैक्टर, ख.न. 239 रकबा 4.59 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	गिरधारीलाल पुत्र भागीरथसिंह जाति जाट राहिन बीआरकेबी मण्डावा सा.देह श्योपुरा	959/37	1.45	वा. 1
		किता 01	1.08	—
	योग		श्योपुरा	
2	मुन्नी देवी पुत्री भागीरथ 1/3, जगपाल सिंह पुत्र भागीरथ 1/3, जगमाल सिंह पुत्र भागीरथ 1/3, जाति जाट सा. देह खातेदार	239 मी.	4.59	बारानी -1
3	जगमाल पुत्र भागीरथसिंह जाति जाट सा.देह श्योपुरा	130 मी.	0.08	वा.-2
4	जगपाल सिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति जाट सा.देह श्योपुरा	130 मी.	0.08	वा.-2
5	गिरधारीलाल पुत्र भागीरथसिंह जाति जाट राहिन बीआरकेबी मण्डावा सा.देह श्योपुरा	130 मी.	0.08	वा.-2
6	गिरधारीलाल पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 1/3 जाति जाट राहिन बीआरकेबी मण्डावा, जगपाल सिंह पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 1/3, भागीरथ पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 1/3, सा.देह श्योपुरा	130 मी.	0.03	गै.मु.रा. वा. 1
		161	0.11	

उपखण्ड मुनेश कुमारी (R.A.S.)
 उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

वसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.06.2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

पीतारसीन अधिकारी - मुनेश कुमारी (आय.ए.एम.)

सू.अ. 416/2024 उनवान जगमाल बनाम कानसिंह वगै०

जगमाल वगैरह तादी

बनाम

कानसिंह वगैरह (प्रतिवादी)

दावा बाबत विभाजन

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 26.06.2025

न्यायालय हाजा द्वारा 416/2024 उनवान जगमाल सिंह बनाम गिरधारीलाल वगै० में वाद वादी दिनांक 11.07.2024 को प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मोका कमीशन नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक मू.अ. /2025/859 दिनांक 26.05.2025 प्रस्तुत करने पर बहरा विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम वाहिदपुरा के भूमि ख.न.959/78 रकबा 1.45 हैक्टर, व ग्राम श्योपुरा ख. न. 130 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.न. 161 रकबा 0.11 हैक्टर, ख.न. 239 रकबा 4.59 हैक्टर का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	मूमि किस्म
1	गिरधारीलाल पुत्र भागीरथसिंह जाति जाट राहिन बीआरकेबी मण्डावा सा.देह श्योपुरा	ग्राम वाहिदपुरा		
		959/37	1.45	वा. 1
	योग	किता 01	1.08	—
		श्योपुरा		
2	मुन्नी देवी पुत्री भागीरथ 1/3, जगपाल सिंह पुत्र भागीरथ 1/3, जगमाल सिंह पुत्र भागीरथ 1/3, जाति जाट सा. देह खातेदार	239 मी.	4.59	वारासी -1
3	जगमाल पुत्र भागीरथसिंह जाति जाट सा.देह श्योपुरा	130 मी.	0.08	वा.-2
4	जगपाल सिंह पुत्र भागीरथसिंह जाति जाट सा.देह श्योपुरा	130 मी.	0.08	वा.-2
5	गिरधारीलाल पुत्र भागीरथसिंह जाति जाट राहिन बीआरकेबी मण्डावा सा.देह श्योपुरा	130 मी.	0.08	वा.-2
6	गिरधारीलाल पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 1/3 जाति जाट राहिन बीआरकेबी मण्डावा, जगपाल सिंह पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 1/3, भागीरथ पुत्र भागीरथसिंह हिस्सा 1/3, सा.देह श्योपुरा	130 मी.	0.03	गै.मु.सा. वा. 1
		161	0.11	

तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)

उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

जिला झुन्झुनू